

Order No:- 95L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Kalyan Banerjee** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **504** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	EKANKI MITRA	Sh. Shouvik Mitra Mob- 9433108014	2	SANTRAGACHI
2	ABHINANDAN MUKHERJEE	Sh. Indranil Mukhopadhyay Mob- 9830934802	7	BARRACKPORE
3	RITAMA CHANDRA	Sh. Tamal Sovan Chandra Mob- 9732610640	2	TARAKESWAR
4	SAMONTAK SAHA	Sh. Sumanta Saha Mob- 9830863149	4	BARRACKPORE
5	ANUSTUP CHAKRABORTI	Sh. Anindya Chakraborti Mob- 9734550224	2	SANTRAGACHI
6	SEKH SARFARAZ AHAMMED	Sh. Sekh Jobayer Ahammed Mob- 9903573790	1	TARAKESWAR
7	MD TASRIK	Md Taslim Mob- 7980382368	3	BARRACKPORE
8	ANKUSH DUTTA	Sh. Arindam Dutta Mob- 9831209511	1	BAMANGACHI
9	AYUSH DAS	Sh. Ujjal Kumar Das Mob- 9874378523	1	BARRACKPORE
10	MAYUKH SARKAR	Sh. Sudip Sarkar Mob- 9830748285	1	BARRACKPORE

पि. जय कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Kalyan Banerjee माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **KOLKATA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)